

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
1	2	3												
5.6.17	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</p> <p style="text-align: center;">जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० – 259/2016-17 अंचल अधिकारी, अररिया – प्रथम पक्ष</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p style="text-align: center;">विद्या देवी, पति-नित्यानंद तिवारी, सा०-अररिया, थाना-जिला-अररिया – विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 909/भू०सु०, दिनांक 24.09.2016 द्वारा अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 3224, दिनांक 22.09.2016 से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख सं० 02/2016 17 (अंचल-अररिया) निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं० 2578 को रद्द करने की अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">वादग्रस्त का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="326 1427 1356 1811"> <thead> <tr> <th>जमाबंदी रैयत का नाम</th> <th>मौजा.</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>संधारित रकवा</th> <th>रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विद्या देवी, पति-नित्यानंद तिवारी, सा०-अररिया, थाना-जिला-अररिया</td> <td>हड़िया थाना नं० 196</td> <td>388</td> <td>1033</td> <td>5.00 ए०</td> <td>5.00 ए० जमाबंदी सं० 2578</td> </tr> </tbody> </table> <p>विपक्षी को न्यायालय द्वारा सूचना भिजित की गई। किन्तु सूचना प्राप्ति के पश्चात् भी विपक्षी दो तिथि से लगातार अनुपस्थित रहें। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। (पश्चात् अभिलेख को आदेश पर रखा गया।</p> <p>अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खेसरा 1033 का नक्सा अनुसार कुल रकवा 129.00 एकड़ है, जिसका खतियानी रकवा 83.00 एकड़ (उत्तर से) है। शेष अधिशेष रकवा 49.30 एकड़</p>	जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा.	खाता	खेसरा	संधारित रकवा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा	विद्या देवी, पति-नित्यानंद तिवारी, सा०-अररिया, थाना-जिला-अररिया	हड़िया थाना नं० 196	388	1033	5.00 ए०	5.00 ए० जमाबंदी सं० 2578	
जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा.	खाता	खेसरा	संधारित रकवा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा									
विद्या देवी, पति-नित्यानंद तिवारी, सा०-अररिया, थाना-जिला-अररिया	हड़िया थाना नं० 196	388	1033	5.00 ए०	5.00 ए० जमाबंदी सं० 2578									



(दक्षिण से) है। अपर समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के वाद सं० 986/1968-69 / 6708/1965 दफा 108 आदेश दिनांक 31.10.1969 के अनुसार मौजा-हड़िया, थाना नं० 196, खाता 388, खेसरा 1033 की भूमि में से कुल रकवा 49.30 एकड़ (दक्षिण से) बिहार सरकार खाते में दर्ज करने का आदेश पारित है। जिसके तहत रकवा 49.30 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष रकवा 83.00 एकड़ (उत्तर भाग से) का रैयती खतियान बना। उत्तर भाग की रैयती की भूमि में नहर एवं Village Channel गुजरती है, जिसका मुआवजा राशि खतियानी रैयत एवं उनके वारिशानों द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भूदान में भी मूल रैयतों द्वारा जमीन दी गई है, जो उत्तर भाग में शामिल है। इस प्रकार उत्तर भाग की 83 एकड़ भूमि रैयतों ने अपने दखल में रखते हुए भूमि बिक्री किया तथा बाद में बिहार सरकार की भूमि 49.30 एकड़ में से भी बिक्री करते गये। बिहार सरकार की 49.30 एकड़ में से उपरोक्त विवरण की 5.00 एकड़ भूमि अवैध रूप से विपक्षी क्रेता विद्या देवी के नाम बिक्री होकर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी सं० 2578 दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के आदेशानुसार अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ स्थल की नापी कराकर बिहार सरकार घोषित रकवा 49.30 एकड़ का सीमांकन कर चिन्हित किया गया। उपरोक्त क्रेता की अंकित भूमि रकवा 5.00 एकड़ सीमांकित बिहार सरकार की भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। फलस्वरूप संधारित जमाबंदी सं० 2578 को रद्द करने का अनुशंसा अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा की गई है। साथ ही साथ प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार के खाते की है, जिसका क्रय-विक्रय तथा नामान्तरण होकर जमाबंदी दर्ज होना नियम के विरुद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाना है।


अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन, अमीन का नापी प्रतिवेदन/ट्रेस मैप के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा अवैध तरीके से निबंधित दस्तावेज से क्रय की गई भूमि बिहार सरकार के नाम घोषित रकवा 49.50 एकड़ के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि की जमाबंदी क्रेतागण के नाम दर्ज होना कानून के स्थापित सिद्धान्त एवं बिहार भूमि नामान्तरण अधिनियम की धारा 6 के विरुद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखने योग्य है। वादग्रस्त जमीन बिहार सरकार की खास भूमि है, जिसका क्रय-विक्रय सर्वथा गलत एवं अवैध है।


अतः उक्त परिपेक्ष्य में अंचलाधिकारी, अररिया/भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के अनुशंसा, नापी प्रतिवेदन तथा अपर समाहर्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के पारित आदेश के आलोक में उक्त भूमि मौजा-हड़िया, थाना नं० 196, खाता सं० 388, खेसरा सं० 1033, रकवा 5.00 एकड़ का विद्या देवी, पति-नित्यानंद तिवारी, सा०-अररिया, थाना-जिला-अररिया के नाम दर्ज की गई जमाबंदी सं० 2578 जो बिहार सरकार के खास खाता के अन्तर्गत है, की दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाता है। अंचलाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि

वर्णित जमाबंदी रकवा 5.00 एकड़ को बिहार सरकार के मूल जमाबंदी में शामिल कर दें।


पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अधल अधिकारी, अररिया को अनुपालनार्थ भेजे।

लेखापित एवं संसोधित


अपर समाहर्ता,
अररिया


अपर समाहर्ता,
अररिया

ज्ञापांक61...../रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 05/06/2017
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


अपर समाहर्ता,
अररिया